

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर, 2010
14 DEC 2010

कार्यालय जापन

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना तथा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अधीन आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क में वृद्धि ।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी निगमों/उपक्रमों/बैंकों/निकायों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रबोध, हिंदी प्रवीण, हिंदी प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को रुपए 100/- (रुपए एक सौ मात्र) परीक्षा शुल्क के रुप में देना होगा ।

2. यह कार्यालय जापन आंतरिक वित्त प्रभाग (वित्त -II), गृह मंत्रालय की दिनांक 3-11-2010 के डायरी संख्या 73015/वित्त-II/10 के तहत दी गई सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है ।

3. यह आदेश कार्यालय जापन के जारी होने की तिथि से लागू होंगे ।

Asm gupta
(विजय कुमार गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग(अनुरोध है कि कृपया इस कार्यालय जापन की विषय वस्तु को अपने नियंत्राधीन सभी सरकारी उपक्रमों/बैंकों/स्वायत संगठनों/निगमों आदि के ध्यान में लाए) ।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
6. सचिव, संसदीय राजभाषा समित, 11,तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
7. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
8. सभी संघ शासित क्षेत्र ।
9. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/कर्मचारी ।
10. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
11. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
12. संयुक्त सचिव(राजभाषा) के निजी सचिव ।
13. अतिरिक्त प्रतियां (100)